उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2010/181(120)/XXVII(8)/2008
दिनांकः देहरादून : 22 जनवरी, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं–

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2009

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005)(द्वितीय संशोधन) 2009 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– नियम 11 के उपनियम(1), उपनियम(2), उपनियम(3) तथा उपनियम(7) का संशोधन एवं नये उपनियम(10) एवं उपनियम(11) का जोड़ा जाना–
उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, जिसे यहाँ आगे मूल नियम कहा गया है, के नियम 11 के–

(क) वर्तमान उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम (1) रख दिया जायेगा–
(1) उपनियम (2) के अन्तर्गत आच्छादित से भिन्न प्रत्येक व्यौहारी जो कर के लिये दायी है, अपने आवर्त की सावधिक विवरणी फार्म 3 में कर निर्धारक प्राधिकारी को निम्नलिखित रीति से प्रस्तुत करेगा–
(एक) एक मासिक विवरणी, अगले उत्तरवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व, यदि पूर्ववर्ती वर्ष में आवर्त 25 लाख रुपये से अधिक था;
(दो) जून 30, सितम्बर 30, दिसम्बर 31 और मार्च 31 को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही की विवरणी, सम्बन्धित तिमाही के एक माह के भीतर यदि पूर्ववर्ती वर्ष में आवर्त 25 लाख रुपये तक था;
(ख) उपनियम (2) के प्रथम परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "खण्ड (क) (ख)" के स्थान पर शब्द "उपनियम (1) अथवा उपनियम (2)" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपनियम(1) के बाद निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा–
"परन्तु यह कि संकर्म संविदाकार(वर्क कान्ट्रैक्टर) अपनी सावधिक विवरणी फार्म 3(ख) में दाखिल करेगा।"

(घ) उपनियम (2) में प्रयुक्त शब्द "फार्म 3" के स्थान पर शब्द **"फार्म 3(ग)"** रख दिया जायेगा।

(ङ) उपनियम (3) के खण्ड (ग) के बाद एक नया खण्ड (घ) जोड़ दिया जायेगा, अर्थात–
"(घ) उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के प्राविधान आवश्यक परिवर्तनों सहित फार्म 3(ख) एवं 3(ग) पर भी आवश्यकतानुसार लागू होंगे।"

(च) (i) उपनियम (7) के प्रथम परन्तुक के अन्त में शब्द "संकर्म संविदाकार अपनी वार्षिक विवरणी फार्म 4(ख) एवं उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अधीन प्रकल्पित कर का विकल्प अपनाने वाले व्यौहारियों द्वारा अपनी वार्षिक विवरणी फार्म 4(ग) में दाखिल की जायेगी" बढ़ा दिये जायेंगे।
(ii) उपनियम 7 के वर्तमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक रख दिया जायेगा–
"परन्तु यह और कि कर निर्धारक प्राधिकारी पर्याप्त करणों से उसको अभिलिखित करते हुए ऐसी विवरणी को दाखिल करने का समय स्वयं अधिकतम 3 माह तक एवं कमिश्नर वाणिज्य कर की लिखित अनुमति से अधिकतम 6 माह तक बढ़ा सकता है।"

(छ) उपनियम(9) के बाद एक नया उपनियम (10) रख दिया जायेगा–
"(10) फार्म 4 में दाखिल वार्षिक विवरणी की प्राप्ति फार्म 33 में जारी की जायेगी।"

(ज) उपनियम(10) के बाद एक नया उपनियम (11) रख दिया जायेगा–
"(11) **(एक)** नियम 11 के उपनियम में विहित सावधिक विवरणी अगले पश्चात्‌वर्ती माह की समाप्ति के पूर्व विभाग की सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन अथवा हार्डकापी में दाखिल की जा सकती है:

परन्तु यह कि कमिश्नर, वाणिज्य कर एक सामान्य आदेश से उन पंजीकृत व्यौहारियों द्वारा जिनका सकल आवर्त कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में ऐसी धनराशि से अधिक होने की सम्भावना है अथवा पहले ही अधिक हो गयी है, सावधिक विवरणी 'ऑन लाइन' प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, किन्तु अकल्पित परिस्थितियों के सम्बन्ध में पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करके कर निर्धारक प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता में उसका कारोबार पड़ता है, हार्डकापी में विवरणियों को दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।
(दो) कलेण्डर माह, जिसमें ऐसी विवरणी दाखिल किया जाना है उसकी समाप्ति के पन्द्रह दिन बाद व्यौहारी को ऑनलाइन दाखिल की गयी विवरणी की एक हार्डकापी, भुगतान के सबूत के रूप में ट्रेजरी चालान की प्रति के साथ दाखिल करना होगा।
(तीन) विभाग की सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल की जा रही विवरणी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट, 2000) के प्राविधान 35 के अनुसार सत्यापन करने वाले प्राधिकारी द्वारा व्यौहारी अथवा इस निमित्त अधिकृत व्यक्ति को जारी डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा, जिसमें असफल रहने पर इसे विवरणी की केवल सॉफ्टकापी माना जायेगा और व्यौहारी को विहित समय के भीतर उसकी एक हार्डकापी दाखिल करनी होगी।"

3– **नियम 19 के उपनियम (1) में निर्धारित फार्म 6 का संशोधन**– मूल नियम के नियम 19 के उपनियम (1) में निर्धारित वर्तमान फार्म 6 के स्थान पर **संशोधित फार्म 6** रख दिया जायेगा।

4– **नियम 23 के उपनियमों में संशोधन**– मूल नियम के नियम 23 में–

(क) उपनियम (3), (6)(क), (6)(ख), (8), (11),(14) तथा उपनियम (16) में प्रयुक्त शब्दावली "असिस्टेन्ट कमिश्नर" के स्थान पर शब्दावली **"कर निर्धारक प्राधिकारी"** रख दी जायेगी।"

(ख) उपनियम(1) में उल्लिखित फार्म 11 की **"दूसरी प्रति"** फार्म की "मूल प्रति" के बाद रख दी जायेगी।

(ग) उपनियम (4) के प्रथम परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा–

"परन्तु यह और कि एक एकल फार्म में एक कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित 5 लाख रुपये से अधिक के संव्यवहार आच्छादित किये जा सकते हैं, यदि–

(क) क्रेता व्यापारी अपने प्रार्थना पत्र के साथ कुल खरीद की ब्यौहारी वार सूची दाखिल करेगा,

(ख) कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ब्यौहारी द्वारा सभी विवरणियाँ दाखिल कर दी गयी हैं और देय कर जमा करने का सबूत दिया जा चुका है, और

(ग) फार्म जारी करते समय कर निर्धारक प्राधिकारी फार्म के ऊपर लाल स्याही से सुसंगत कर निर्धारण वर्ष, विक्रेता का नाम तथा आच्छादित धनराशि चिन्हित करेगा।"

5– **नियम 30 के उपनियम (16) के बाद उपनियम (17), उपनियम (18), उपनियम (19) तथा उपनियम (20) का जोड़ा जाना**

वैट नियमों के नियम 30 के उपनियम (16) के बाद निम्नलिखित नये उपनियम (17), उपनियम (18), उपनियम (19) तथा उपनियम (20) जोड़ दिये जायेंगे–

(17) जिस वर्ग के करदाताओं को यह सुविधा दी जानी है कि वे वैट नियमावली के नियम 30 के उपनियम (1) में निर्धारित फार्म 16 स्वयं डाउनलोड कर प्रयोग कर सकते हैं उसे कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा अधिकृत किया जायेगा।

(18) उपनियम (17) के प्रयोजन हेतु कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा फार्म 16 की श्रृंखला तथा क्रमांक जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, को अधिकृत तथा विहित किया जायेगा।

(19) उपनियम (18) के अनुसार डाउनलोड किये गये आयात घोषणा पत्रों(फार्म 16) पर करदाता द्वारा स्वयं अथवा फर्म, कम्पनी आदि के मामलों में इस प्रयोजन हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा तथा हस्ताक्षर का नमूना कमिश्नर, वाणिज्य कर तथा कर निर्धारक प्राधिकारी को भेजा जायेगा।

(20) नियम 30 के अन्य सभी प्राविधान डाउनलोड किये गये आयात घोषणा पत्रों पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि कर निर्धारक प्राधिकारी के कार्यालय से प्राप्त आयात घोषणा पत्रों पर लागू होते हैं।

6– **नियम 41 के उपनियमों में संशोधन–** मूल नियम के नियम 41 के उपनियम (2),(4),(5),(7),(9),(10),(11),(12),(13) तथा (14) में प्रयुक्त शब्दावली "असिस्टेन्ट कमिश्नर" के स्थान पर शब्दावली **"कर निर्धारक प्राधिकारी"** रख दी जायेगी।"

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं0 81 /2010/181(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
2–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250–250 प्रतियॉ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3–गार्ड फाइल हेतु/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
(सी0एस0सेमवाल)
अपर सचिव, वित्त।

फार्म–3(ख)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अधीन संकर्म संविदाकारों के लिये आवर्त की सावधिक विवरणी।

(नियम 11के उपनियम (1) का परन्तुक देखें)

टिन(पंजीयन संख्या)

0	5										

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी
खण्ड/ सर्किल ----------------------------------

विवरणी की अवधि

से								
तक								

व्यौहारी का नाम ---

कारबार के मुख्य स्थल का पता ---

शाखा(यदि कोई हो) का पता---

1- अवधि के दौरान संविदाएं जिनके मद्दे भुगतान प्राप्त किया गया है, का ब्यौरा

क्र0सं0	अनुबन्ध का क्रमांक एवं तारीख	संविदा की अवधि	कुल धनराशि	अवधि के दौरान प्राप्त की गयी धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
			कुल	

2. देय कर, स्रोत पर कटौती की धनराशि एवं जमा की गयी धनराशि का ब्यौरा

क्र0सं0	विरचना 1 में उल्लिखित तत्सम अनुबन्धों की अवधि के दौरान प्राप्त भुगतान पर देय कर	स्रोत पर कटौती की धनराशि	चालान द्वारा जमा की धनराशि	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
कुल				

FORMS: FORM 3(B)

3. भुगतान का ब्यौरा

क्र0सं0	चालान संख्या	तारीख	धनराशि	बैंक का नाम	शाखा
1.					
1.					
2.					
3.					
4.					
कुल					

घोषणा

मैं.....पुत्र श्री.....इस विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत हूँ और मै एतद्द्वारा घोषणा एवं सत्यापित करता हूँ कि इस विवरणी में दी गयी सूचना एवं विशिष्टियाँ सत्य एवं पूर्ण है और कुछ भी जानबूझकर न तो छिपाया गया है और न गलत कथन किया गया है।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

प्रास्थिति.....

फार्म–3(ग)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अधीन विक्रय आवर्त एवं समाधान धनराशि की सावधिक विवरणी।

(नियम 11 का उपनियम (2) देखें)

टिन(पंजीयन संख्या)

0	5										

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी

खण्ड / सर्किल ------------------------------

विवरणी की अवधि

से								
तक								

ब्यौहारी का नाम --

कारबार के मुख्य स्थल का पता --

शाखा(यदि कोई हो) का पता --

(रुपये में)

1.	सकल आवर्त	
2.	अनुसूची–II(ग), अनुसूची– III में विनिर्दिष्ट माल की बिक्री एवं अनुसूची– I में विनिर्दिष्ट माल जिसके ऊपर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय है।	
3.	शेष (1)–(2)	
4.	बिन्दु (3) के ऊपर 1 प्रतिशत की दर से समाधान धनराशि	
5.	भुगतान की गयी धनराशि	

6. भुगतान का ब्यौरा

क्र0सं0	चालान संख्या	तारीख	धनराशि	बैंक का नाम	शाखा
1.					
1.					
2.					
3.					
4.					
कुल					

घोषणा

मैं,.............................पुत्र श्री.............................इस विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत हूँ और मैं एतद्द्वारा घोषणा एवं सत्यापित करता हूँ कि इस विवरणी में दी गयी सूचना एवं विशिष्टियाँ सत्य एवं पूर्ण हैं और कुछ भी जानबूझकर न तो छिपाया गया है और न गलत कथन किया गया है।

तारीख....................

हस्ताक्षर....................

नाम....................

प्रास्थिति....................

फार्म–4(ख)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अधीन संकर्म संविदाकारों के लिये आवर्त की वार्षिक विवरणी

(नियम 21 का उपनियम (3) देखें)

टिन(पंजीयन संख्या)

0	5									

सेवा में

कर निर्धारक प्राधिकारी, वाणिज्य कर
खण्ड.............. सर्किल..........................

....

कर निर्धारण वर्ष

2	0			-		

खण्ड–1

क. व्यौहारी का नाम एवं उत्तराखण्ड में कारबार के मुख्य स्थल का पता ------------------------------------
----

ख. (क) विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम ------------------------------------
(ख) पिता/ पति का नाम ------------------------------------
(ग) निवास का पता ------------------------------------

(घ) कारबार में प्रास्थिति ------------------------------------

ग. पंजीकृत/ मुख्य कार्यालय का नाम एवं पता यदि उत्तराखण्ड के बाहर स्थित हो ------------------------------------
----

घ. उत्तराखण्ड में शाखाएं (पते सहित)
1------------------------------------
2------------------------------------
3------------------------------------
4------------------------------------

ङ. यदि कारबार बन्द हो गया हो तो उसकी तारीख ------------------------------------

च. यदि कारबार का पुनर्गठन हुआ है तो पुनर्गठन की तारीख, पुनर्गठित फर्म के नाम एवं पते सहित ------------------------------------

1- पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त तथा जमा किये गये कर/ समाधान राशि (स्रोत पर कर कटौती सहित) का ब्यौरा

क्र०सं०	कर निर्धारण वर्ष	कुल प्राप्त धनराशि	कुल जमा धनराशि

2- संविदाओं का ब्यौरा जिनके मद्दे अवधि के दौरान भुगतान प्राप्त किया गया

क्र०सं०	अनुबन्ध सं० एवं तारीख	संविदा की अवधि	कुल धनराशि	अवधि के दौरान प्राप्त धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
			योग	

3- वर्ष के दौरान प्राप्त भुगतानों पर कुल देय कर
(समाधान धनराशि सहित कर देयता की सम्पूर्ण संगणना उल्लिखित करते हुए अलग से एक पन्ना संलग्न करें)

4- देय कर, स्रोत पर की गयी कटौती की धनराशि एवं जमा की गयी धनराशि का ब्यौरा

क्र०सं०.	विरचना 2 में उल्लिखित तत्सम अनुबन्धों की अवधि के दौरान प्राप्त भुगतान पर देय कर	स्रोत पर कटौती की धनराशि	चालान द्वारा जमा की गयी धनराशि	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
योग		(क)	(ख)	
जमा की गयी कुल धनराशि		(क)+(ख)		

5- राज्य के भीतर से क्रय का ब्यौरा:

क्र०सं०	विक्रेता व्यौहारी का नाम	टिन	वस्तु	बिल सं०/ तारीख	मात्रा	मूल्य
1						
2						
			योग			

वार्षिक विवरणी के साथ क्रय किये गये माल की समस्त सूची संलग्न की जाये यदि कुल प्राप्ति समाधान योजना से आच्छादित नहीं है।

FORMS FORM III-D?

6– राज्य के बाहर से माल के क्रय का ब्यौरा:

क्र0सं0	विक्रेता व्यौहारी का नाम	टिन	वस्तु	बिल सं0/ तारीख	मात्रा	मूल्य
1						
2						
			योग			

वार्षिक विवरणी के साथ समस्त खरीद की सूची संलग्न करे

7– राज्य के बाहर से खरीद पर कर जो धारा 7(2) के अधीन समाधान योजना की शर्तों के अधीन 5 प्रतिशत से अधिक धनराशि की है

क्र0सं0	वस्तु	धनराशि	कर दर	कर
1			@	
			@	
			@	
	योग			

8– कुल देय कर (3+6):-

9.	देय शुद्ध कर (यदि 3-4 (+) है)	
10	दावाकृत वापसी (यदि 3-4 (-) है)	

11– वर्ष के दौरान प्रयोग किये गये फार्मों का ब्यौरा

क्र0सं0	फार्मों का विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में फार्मों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त फार्म	वर्ष के दौरान प्रयोग किये गये फार्म	वर्ष के अन्त शेष फार्म
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	फार्म -16				
2.	फार्म -11				
3.	फार्म - ग				
4.	फार्म -च				
5.	फार्म - ज				
6.	फार्म –ई -1				
7.	फार्म –ई -2				
8.	फार्म				
9.	फार्म				

फार्म की क्रम संख्या, विक्रेता/ क्रेता व्यौहारी का नाम, टिन, वस्तु का नाम, बिल सं0/ तारीख वस्तु की मात्रा तथा मूल्य का उल्लेख करते हुए प्रयुक्त फार्मों की सूची संलग्न करें।

12– भुगतान का ब्यौरा

क्र0सं0	चालान संख्या	तारीख	धनराशि	बैंक का नाम	शाखा
1.					
2.					
3.					
4.					
योग					

घोषणा

मैं.....पुत्र श्री.....इस विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत हूँ और मैं एतद्द्वारा घोषणा एवं सत्यापित करता हूँ कि इस विवरणी में दी गयी सूचना एवं विशिष्टियाँ सत्य एवं पूर्ण हैं और कुछ भी जानबूझकर न तो छिपाया गया है और न गलत कथन किया गया है।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

प्रास्थिति.....

फार्म–4(ग)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अधीन विक्रय के आवर्त एवं समाधान धनराशि की वार्षिक विवरणी

(नियम 21 का उपनियम (3) देखें)

टिन(पंजीयन संख्या)

0	5									

सेवा में

कर निर्धारक प्राधिकारी, वाणिज्य कर
खण्ड / सर्किल..............................

कर निर्धारण वर्ष

2	0			-		

(क) व्यौहारी का नाम --
कारबार के मुख्य स्थल का पता --
शाखा(यदि कोई हो) का पता--

(ख). (क) विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम --
(ख) पिता / पति का नाम--
(ग) स्थायी पता --
(घ) कारबार में प्रास्थिति--

(ग). पिछले 2 वर्षों के आवर्त के निर्धारण का ब्यौरा

कर निर्धारण वर्ष		
विक्रय का आवर्त		

(रुपये में)

1.	सकल आवर्त	
2.	अनुसूची–II(ग), अनुसूची– III में विनिर्दिष्ट माल की बिक्री एवं अनुसूची– I में विनिर्दिष्ट माल जिसके ऊपर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय है।	
3.	शेष (1)–(2)	
4.	बिन्दु (3) के ऊपर 1 प्रतिशत की दर से समाधान धनराशि	
5.	भुगतान की गयी धनराशि	

यदि सावधिक विवरणियों तथा वार्षिक विवरणियों में दर्शायी गई धनराशि में अंतर है तो अंतर की धनराशि सहित अंतर के कारण का उल्लेख करें।

6. भुगतान का ब्यौरा

क्र0सं0	चालान संख्या	तारीख	धनराशि	बैंक का नाम	शाखा
1.					
1.					
2.					
3.					
4.					
कुल					

7. कृपया निम्नलिखित संलग्न करें:–

(1) राज्य के भीतर करदेय माल की खरीद की सूची।

घोषणा

मैं_____पुत्र श्री_____इस विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत हूँ और मैं एतद्द्वारा घोषणा एवं सत्यापित करता हूँ कि इस विवरणी में दी गयी सूचना एवं विशिष्टियाँ सत्य एवं पूर्ण हैं और कुछ भी जानबूझकर न तो छिपाया गया है और न गलत कथन किया गया है।

तारीख_____

हस्ताक्षर_____

नाम_____

प्रास्थिति_____

फार्म–6

(नियम 19 का उपनियम (1) देखें)

मूल्य वर्धित कर/ वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर को खजाना/उप–खजाना भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक/प्राधिकृत बैंक में जमा करने के लिये चालान

(क) खजाना/ बैंक द्वारा अपने पास रखा जायेगा

कर निर्धारण वर्ष					-				कर अवधि (यदि कोई हो)	

1	सैक्टर/ सर्किल/ असिस्टेन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण)	
2	खजाना/उप–खजाना/ बैंक/ बैंक शाखा का नाम	
3	(क) व्यक्ति अथवा प्रतिहारी का नाम जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। (ख) पता	
4	टिन/ पंजीयन संख्या	
5	यदि टिन/ पंजीयन संख्या नहीं है तो जो भी लागू हो	अपंजीकृत / प्रार्थित

6 (भुगतान के सुसंगत लेखाशीर्ष को बॉक्स में चिन्हित करें)

लेखाशीर्ष													विवरण	क्रमांक	राशि (रुपये में)
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर–कर संग्रह	01	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर–अर्थदण्ड	02	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर–पंजीयन फीस	03	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर–अन्य प्राप्तियाँ	04	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–कर संग्रह	05	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–अर्थदण्ड	06	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–पंजीयन फीस	07	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–अन्य प्राप्तियाँ	08	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– कर संग्रह	09	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– अर्थदण्ड	10	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	2	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– पंजीयन फीस	11	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– अन्य प्राप्तियाँ	12	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	उत्तराखण्ड व्यापार कर–प्राप्तियाँ	13	
0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	अन्य प्राप्तियाँ	14	
कुल धनराशि (शब्दों में)														कुल धनराशि (अंकों में)	

जमाकर्ता का नाम.....

जमाकर्ता की प्रास्थिति..... जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....

केवल उप–खजाना/ बैंक के प्रयोग हेतु

धनराशि (अंकों में)..... (शब्दों में) रु0 .....

चालान संख्या.....दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उप–खजाना/ बैंक की मुहर

फार्म–6

(नियम 19 का उपनियम (1) देखें)

मूल्य वर्धित कर/ वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर को खजाना/उप–खजाना भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक/प्राधिकृत बैंक में जमा करने के लिये चालान

(ख) खजाना/ बैंक द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को भेजा जायेगा

कर निर्धारण वर्ष					-					कर अवधि (यदि कोई हो)	

1	सेक्टर/सर्किल/असिस्टेन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण)	
2	खजाना/उप–खजाना/बैंक/बैंक शाखा का नाम	
3	(क) व्यक्ति अथवा व्यौहारी का नाम जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। (ख) पता	
4	टिन/ पंजीयन संख्या	
5	यदि टिन/ पंजीयन संख्या नहीं है तो जो भी लागू हो	अपंजीकृत / प्रार्थित

6 (भुगतान के सुसंगत लेखाशीर्ष को बॉक्स में चिन्हित करें)

लेखाशीर्ष	विवरण	क्र०सं०	राशि (रुपये में)
0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0	केन्द्रीय बिक्री कर–कर संग्रह	01	
0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0	केन्द्रीय बिक्री कर–अर्थदण्ड	02	
0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0	केन्द्रीय बिक्री कर–पंजीयन फीस	03	
0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0	केन्द्रीय बिक्री कर–अन्य प्राप्तियाँ	04	
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–कर संग्रह	05	
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–अर्थदण्ड	06	
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–पंजीयन फीस	07	
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–अन्य प्राप्तियाँ	08	
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 5 0 1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– कर संग्रह	09	
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 5 0 1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– अर्थदण्ड	10	
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 5 0 2	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– पंजीयन फीस	11	
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 5 0 1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– अन्य प्राप्तियाँ	12	
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1	उत्तराखण्ड व्यापार कर–प्राप्तियाँ	13	
0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0	अन्य प्राप्तियाँ	14	
कुल धनराशि (शब्दों में)		कुल धनराशि (अंकों में)	

जमाकर्ता का नाम...

जमाकर्ता की प्रास्थिति.. जमाकर्ता के हस्ताक्षर..........................

केवल उप–खजाना/ बैंक के प्रयोग हेतु

धनराशि (अंकों में)................................ (शब्दों में) रु0 ....

चालान संख्या.. दिनांक..

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उप–खजाना/ बैंक की मुहर

फार्म–6

(नियम 19 का उपनियम (1) देखें)

मूल्य वर्धित कर/ वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर को खजाना/उप–खजाना भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक/प्राधिकृत बैंक में जमा करने के लिये चालान

(ग) व्यौहारी द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी को विवरणी/ आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा

कर निर्धारण वर्ष					-				कर अवधि (यदि कोई हो)	

1	सैक्टर/सर्किल/असिस्टेण्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण)	
2	खजाना/उप–खजाना/बैंक/बैंक शाखा का नाम	
3	(क) व्यक्ति अथवा व्यौहारी का नाम जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। (ख) पता	
4	टिन/ पंजीयन संख्या	
5	यदि टिन/ पंजीयन संख्या नहीं है तो जो भी लागू हो	अपंजीकृत / प्रार्थित

6 (भुगतान के सुसंगत लेखाशीर्ष को बॉक्स में चिन्हित करें)

लेखाशीर्ष													विवरण	क्रमांक	राशि (रुपये में)
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर–कर संग्रह	01	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर–अर्थदण्ड	02	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर–पंजीयन फीस	03	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर–अन्य प्राप्तियाँ	04	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–कर संग्रह	05	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–अर्थदण्ड	06	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–पंजीयन फीस	07	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–अन्य प्राप्तियाँ	08	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– कर संग्रह	09	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– अर्थदण्ड	10	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	2	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– पंजीयन फीस	11	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– अन्य प्राप्तियाँ	12	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	उत्तराखण्ड व्यापार कर–प्राप्तियाँ	13	
0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	अन्य प्राप्तियाँ	14	
कुल धनराशि (शब्दों में)														कुल धनराशि (अंकों में)	

जमाकर्ता का नाम.....

जमाकर्ता की प्राधिकृति..... जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....

केवल उप–खजाना/ बैंक के प्रयोग हेतु

धनराशि (अंकों में)..... (शब्दों में) रु0 .....

चालान संख्या.....दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उप–खजाना/ बैंक की मुहर

फार्म–6

(नियम 19 का उपनियम (1) देखें)

मूल्य वर्धित कर/ वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर को खजाना/उप–खजाना भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक/प्राधिकृत बैंक में जमा करने के लिये चालान

(ध) व्यौहारी द्वारा अपने पास रखा जायेगा

कर निर्धारण वर्ष					-				कर अवधि (यदि कोई हो)	

1	सैक्टर/सर्किल/असिस्टेन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण)	
2	खजाना/उप–खजाना/बैंक/बैंक शाखा का नाम	
3	(क) व्यक्ति अथवा व्यौहारी का नाम जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। (ख) पता	
4	टिन/ पंजीयन संख्या	
5	यदि टिन/ पंजीयन संख्या नहीं है तो जो भी लागू हो	अपंजीकृत / प्रार्थित

6 (भुगतान के सुसंगत लेखाशीर्ष को बॉक्स में चिन्हित करें)

लेखाशीर्ष													विवरण	कोड	राशि (रुपये में)
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर–कर सग्रह	01	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर–अर्थदण्ड	02	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर–पंजीयन फीस	03	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर–अन्य प्राप्तियाँ	04	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–कर संग्रह	05	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–अर्थदण्ड	06	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–पंजीयन फीस	07	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर–अन्य प्राप्तियाँ	08	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– कर संग्रह	09	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– अर्थदण्ड	10	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	2	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– पंजीयन फीस	11	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर– अन्य प्राप्तियाँ	12	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	उत्तराखण्ड व्यापार कर–प्राप्तियाँ	13	
0	0	4	0	0	0	8	0	8	0	1	0	0	अन्य प्राप्तियाँ	14	
कुल धनराशि (शब्दों में)														कुल धनराशि (अंकों में)	

जमाकर्ता का नाम.....

जमाकर्ता की प्रास्थिति..... जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....

केवल उप–खजाना/ बैंक के प्रयोग हेतु

धनराशि (अंकों में)..... (शब्दों में) रु0 .....

चालान संख्या.....दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उप–खजाना/ बैंक की मुहर

फार्म–11

(नियम 23 का उपनियम(1) देखिये)

मान्यता प्रमाणपत्र धारक व्यौहारी द्वारा घोषणा का फार्म

दूसरी प्रति

जारी करने की तारीख..................

क्रम संख्या..

व्यौहारी जिसको जारी किया ....

गया है, का नाम व पूरा पता...

पंजीयन प्रमाणपत्र संख्या...

तारीख..............................से वैध

हस्ताक्षर

(जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर)

सैक्टर..........सर्किल..............

(उपरोक्त प्रविष्टियाँ जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरी जायेगी)

सेवा में,

....

....

(विक्रेता)

प्रमाणित किया जाता है कि आपसे क्रय किया गया नीचे विनिर्दिष्ट माल हमारे द्वारा माल के विनिर्माण अथवा ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग में पूँजीगत माल और कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिये है और उक्त विनिर्मित माल को धारा 4 की उपधारा (7) में अपेक्षित रीति से बेचा जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पास असिस्टैन्ट कमिश्नर, सैक्टर.....................सर्किल.....................द्वारा मुझे/ हमें जारी किया गया मान्यता प्रमाण पत्र संख्या..............है और यह तारीख.....................से वैध है।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं/ हम...के नाम और अभिनाम से...(पूरा पता) पर कारबार करते हैं।

क्रय किये गये माल का विवरण

क्रम सं0	विक्रय बीजक/चालान		माल का विवरण	मात्रा/ भार	माल का मूल्य
	संख्या	तारीख			
1	2(क)	2(ख)	3	4	5
				योग	

रुपये...(शब्दों में)

तारीख.....................

हस्ताक्षर.....................

नाम.....................

स्थान.....................

प्रास्थिति.....................

(टिप्पणी: विक्रेता व्यौहारी को जारी किया जायेगा)

FORMS FORM XI(HINDI).DT

फार्म--33

वाणिज्य कर विभाग,
उत्तराखण्ड

प्राप्ति पत्र
(कार्यालय हेतु)
(नियम 11 का उपनियम(10) देखें)
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर / कर निर्धारक प्राधिकारी
खण्ड / सर्किल ----------------------------------

व्यौहारी का नाम --
पता --

टिन(पंजीयन संख्या)

0	5									

सर्वश्री--से कर निर्धारण वर्ष ----------------------------------
---------------के लिये फार्म-4 में वार्षिक विवरणी सधन्यवाद प्राप्त की।

संलग्नक(यदि कोई हो)
1--
2--
3--

रसीद संख्या व तारीख

हस्ताक्षर------------------------------
नाम ----------------------------------
कार्यालय की मुहर------------------

FORMS· FORM 33.DT

फार्म–33

वाणिज्य कर विभाग,
उत्तराखण्ड

प्राप्ति पत्र
(व्यौहारी हेतु)
(नियम 11 का उपनियम(10) देखें)
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर/ कर निर्धारक प्राधिकारी
खण्ड/ सर्किल ----------------------------------

व्यौहारी का नाम --
पता --

टिन(पंजीयन संख्या)

0	5									

सर्वश्री--------------------------------------से कर निर्धारण वर्ष --के लिये फार्म–4 में वार्षिक विवरणी सधन्यवाद प्राप्त की।

संलग्नक(यदि कोई हो)
1---
2---
3---

रसीद संख्या व तारीख

हस्ताक्षर------------------------------
नाम ---------------------------------
कार्यालय की मुहर-----------------

FORMS FORM 33